आदेश पत्रक

आदेश पत्रक.......................................ता०.............................से ....तक

जिला :- रांची / .अंचल :- ईटकी अभिलेख संख्या:-01/2020-21

केश का प्रकार- विविध वाद संख्या- 01/2020-21

आदेश की क्रम सं० एंव तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पीनी ता० सहित
16-06-2020	आवेदक किशोर केरकेट्टा, पिता स्व. मार्शल केरकेट्टा, ग्राम कुन्दी, थाना ईटकी जिला रांची ने आवेदन पत्र दिया है कि जोसेफ केरकेट्टा पिता निकोलस केरकेट्टा ग्राम कुन्दी ने उनके पिताजी के हिस्से की जमीन को जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहें है । आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत कुन्दी के मुखिया से वंशावली सत्यापित कर दिया गया है, जिसमे आवेदक के पिता एवं जोसेफ केरकेट्टा के पिता दोनो सगे भाई है ।आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद खाता संख्या-96, 164 एवं 204 के अनुसार पंजी 2 मार्शेल केरकेट्टा, एवं निकोलस केरकेट्टा, दोनो भाई के नाम से संधारित है ।इस प्रकार खतियानी जमीन दोनो भाई का बराबर हिस्सा होता है। आवेदक के आवेदन के आधार पर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच कराया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा कुन्दी के खाता संख्या 96, 164 एवं 204 सर्वे खतियान मे छोटा सुरा उरांव वो हली उरांव पेसरान रोटेया उरांव बाहिससा बराबर दर्ज है।पंजी 2 मे उपरोक्त तीनो खाता निकोलस केरकेट्टा वो मार्शेल केरकेट्टा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। प्रतिवादी को नाटिस निर्गत करें । अभिलेख दिनांक 22.06.2020 को उपस्थापित करे । लेखापित एंव संशोधित। 16/6/20 अंचल अधिकारी, ईटकी, रांची। 16/6/20 अंचल अधिकारी, ईटकी, रांची।	
22.6.20	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष बंटवारा कागजात पेश करने हेतु समय की मांग करते हैं। अभिलेख दिनांक 1.7.20 को रखें। अं० अ०	

Scanned with CamScanner